

आदेश :-

उपरोक्त प्रार्थनों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरस्ती हेतु निवेदन किया है एवं इस दुरस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में की गयी है। उप तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। उक्त दुरस्ती वस्तुतः लिपिकीय त्रुटि सुधार की संज्ञा में आती है। अतः इन्द्राज दुरस्ती परस्पर सहमति से किये जाने हेतु प्रार्थना ने प्रार्थना की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरस्ती वाजिब अभिलेख में होने योग्य है। अतः विनिलिखित इन्द्राज दुरस्ती किये जाने से आदेश दिये जाते हैं :-

पहले इन्द्राज		द्वितीय दिव्या भवा इन्द्राज					
1	2	3	4	5	6	7	8
ग्राम का नाम	खतदार का नाम	खतदार का नाम	खतदार का नाम	रकबा	खतदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा
309	मोहन राम पुत्र मोहन राम कौशिक-जाट	मोहन राम पुत्र मोहन राम कौशिक-जाट	1137 792	0.08	भीमनाथान पुत्र कानाराम कौशिक-जाट	1137 792	0.08

क्रमांक :- 159

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

1. उप तहसीलदार, मौलासर

शिविर प्रभारी
 (अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डीडवाना)
 PGKSA-2021, पं.स. मौलासर
 दिनांक :- 12/10/21

शिविर प्रभारी
 (अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डीडवाना)
 PGKSA-2021, पं.स. मौलासर
 दिनांक :-

क्रमांक :-

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

1. पटवार हल्का..... को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो निर्णयानुसार पालना सुनिश्चित करें।

उप तहसीलदार, मौलासर